बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

सहकार संवाद

अंक 03, वर्ष 02, अप्रैल 2025

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

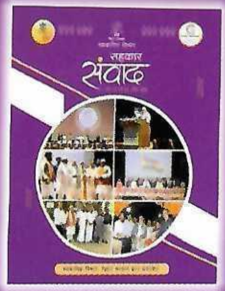

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

सहकार संवाद

अंक 03, वर्ष 02, अप्रैल 2025

संरक्षक :

डॉ० प्रेम कुमार

मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार

प्रधान संपादक :

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०

सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार

संपादक :

श्रीमती इनायत खान, भा०प्र०से०

निबंधक, सहयोग समितियाँ,

बिहार, पटना

संपादक मंडल :

1. **श्री प्रभात कुमार**
   अपर निबंधक (साख), स०स०
2. **श्री ललन कुमार शर्मा**
   संयुक्त निबंधक (पणन), स०स०
3. **श्री विकास रंजन प्रसाद**
   संयुक्त निबंधक (योजना), स०स०
4. **श्री भरत कुमार**
   संयुक्त निबंधक, स०स०
5. **श्री कामेश्वर ठाकुर**
   संयुक्त निबंधक (अंके०), स०स०
6. **श्री अमर कुमार झा**
   उप निबंधक (ईख), स०स०
7. **सुश्री दिव्या झा**
   सहायक निबंधक (अ०र०), स०स०

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पाठकों से संवाद	1
2.	सचिव, सहकारिता विभाग की कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	पाठकों की प्रतिक्रियाएँ	4
5.	पैक्सों के लिए वरदान : पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना	5-6
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025	7-9
7.	विभाग की केरल, अध्ययन यात्रा..................	10-11
8.	अथरी पैक्स की सफलता की कहानी	12-13
9.	सहकारी अंकेक्षण एवं समान लेखा प्रणाली	14-16
10.	ग्राम सहकारिता : आर्थिक लोकतंत्र की धुरी	17-19
11.	झलकियाँ	20

प्रकाशक :

सहकारिता विभाग, बिहार

द्वितीय तल, विकास भवन, पटना-800 015

अपने विचार एवं सुझाव ई-मेल rcsbihar1@gmail.com पर भेजें

डॉ० प्रेम कुमार
मंत्री
सहकारिता विभाग, बिहार

बिहार सरकार

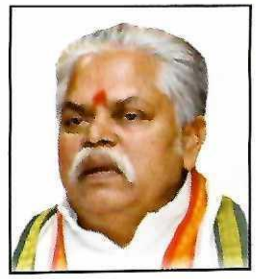

पाठको से संवाद

''सहकार संवाद'' के विगत् अंक पर विभिन्न सहकारी समिति के सदस्यों एवं प्रबंधकारिणी के सदस्यों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई है। ''अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025'' के अवसर पर पूरे राज्य में सहकारिता विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। सहकारिता विभाग की योजनाओं के संबंध में सभी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 8463 पैक्सों एवं 534 प्रखंडों में LED प्रचार रथ–सह–सहकारी चौपाल का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना का प्रारंभ माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार के कर–कमलों से किया गया। दिनांक 30 मार्च, 2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बापू सभागार, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में किया गया।

बिहार राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विकसित राज्यों यथा–केरल, तमिलनाडु एवं गुजरात राज्यों का अध्ययन भ्रमण वरीय पदाधिकारियों के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। अन्य राज्यों में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को बिहार में कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया है।

राज्य में शहद प्रसंस्करण को संगठित रूप से प्रोत्साहित करने हेतु बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन, मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के लिए मत्स्य सहकारी फेडरेशन एवं सभी प्रकार के सहकारी समितियों को मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध कराने हेतु मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारिता के क्षेत्र में विकसित राज्यों में अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा जा रहा है।

''सहकार संवाद'' के माध्यम से पाठकों से संवाद की महत्वपूर्ण पहल सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा किया गया है। आशा है कि सहकार संवाद का यह अंक अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ० प्रेम कुमार)

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

सचिव, सहकारिता विभाग की कलम से

सहकारिता विभाग की योजनाओं के संबंध में प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधन एवं किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा प्रकाशित ''सहकार संवाद'' के विगत अंकों पर पाठकों की सराहनीय प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर इस वर्ष सहकारिता विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

पैक्सों के क्षमतावर्द्धन हेतु सभी नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष / प्रबंधक को प्रमंडल स्तर पर वृहद प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण हेतु सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा में क्षमतावर्द्धन हेतु अधिसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गया जिला में सहकारिता प्रशिक्षण महाविद्यालय–सह–शोध संस्थान की स्थापना हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में सहकारी समिति के प्रतिनिधियों के लिए विकसित राज्यों में अध्ययन भ्रमण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत एक नए मगध यूनियन का गठन किया गया है। सभी PVCS में 1.14 करोड़ के लागत से अधिसंरचना निर्माण किया जा रहा है।

इस वर्ष सहकारिता के क्षेत्र में विकसित राज्यों का अध्ययन भ्रमण वरीय पदाधिकारियों एवं माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा किया गया। राज्य के सहकारिता के विकास में तीव्र गति लाने हेतु विभिन्न राज्यों के अनुकरणीय बिन्दुओं को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। सहकारिता के विकास हेतु सहकारी पारिस्थितिक तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में संचालित योजनाओं के संबंध में सहकारी समिति के सदस्यों को ससमय जानकारी उपलब्ध कराने में ''सहकार संवाद'' की महती भूमिका है। आशा है कि ''सहकार संवाद'' का यह अंक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

इनायत खान, भा०प्र०से०
निबंधक,
सहयोग समितियाँ

संपादकीय

''सहकारिता महज संगठन नहीं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित एक आंदोलन है।'' डॉ० वर्गीज कुरियन के उक्त संदेश को आत्मसात करते हुए सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास को सुदृढ करने के उद्देश्य से इसकी मूल भावना को संस्थागत विकास के प्रथम चरण पर स्थित सहकार बंधुओं के हितों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सहकारिता के प्रति आमजनों के दृष्टि कोण में परिवर्तन लाने, जागरूकता फैलाने और किसानों तथा अन्य हितधारकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न आयामों को इसका माध्यम बनाया जा रहा है। इस क्रम में ''सहकारी चौपाल'', जिसका आयोजन दिनांक 10.02.2025 से 10.03.2025 तक राज्य के विभिन्न पैक्सों में किया गया। इसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, सहकारी रथ के द्वारा सहकारी योजनाओं एवं उसके विभिन्न तथ्यों को मनोरंजक एवं आसान तथा स्थानीय बोलियों में आमजनों तक पहुँचाया गया।

वर्तमान में सहकारिता का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। सहकारिता के इसी बढते स्वरूप एवं महत्व को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को ''अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष'' घोषित किया गया। इससे सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुदृढता के साथ सहकारी स्थिरता को बल मिलेगा। इस क्रम में श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा दिनांक 30.03.2025 को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ को माइक्रो एटीएम का वितरण, महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति एवं मत्स्यजीवी सहयोग समिति को निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण, किसान उत्पादक संगठन को ऋण वितरण, विभिन्न पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का शिलान्यास, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से संबंधित वेब पोर्टल का लोकार्पण प्रमुख है।

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 11 में एक उपधारा (ग) को जोड़ा गया है, जिसके तहत बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित समितियाँ, जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा गठित एवं संपोषित है, वैसे समितियों को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सहकारी संघ यथा विपणन संघ, मत्स्यजीवी संघ इत्यादि के निबंधन हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर सहकारी संस्थाओं को व्यवसाय के विभिन्न आयामों में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।

'सहकार संवाद' के प्रस्तुत अंक के माध्यम से सहकारिता विभाग की योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के विभिन्न पहलूओं, सहकार से समृद्धि के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर जानकारी प्रदान की जा रही है। आशा है कि 'सहकार संवाद' का यह अंक भी पूर्व के अंकों की भांति पाठकों के लिए ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगा।

पाठकों की प्रतिक्रियाएँ

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित पत्रिका सहकार संवाद के विगत दोनो अंक को मैंने पढ़ा और साथ ही अपने प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों समेत तेल्हाड़ा पैक्स के द्वारा आयोजित कृषि संगोष्ठी में भी कृषक सदस्यों के समक्ष पेश कर अवगत कराया। इस पत्रिका के माध्यम से समितियों को सहकारिता विभाग में संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा समिति में कुछ नया और उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सहकार संवाद के द्वितीय अंक में तेल्हाड़ा पैक्स की सफलता की कहानी छापी गयी, जिससे हम तेल्हाड़ा पैक्स को उत्साहवर्द्धन सह नयी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका से प्रेरित होकर हमने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना में लाभ लिया इस और पुरस्कार भी प्राप्त किया। साथ ही इस उत्साहवर्धन के कारण 30 मार्च 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में तेल्हाड़ा पैक्स के द्वारा स्टॉल लगाया गया, जिसे माननीय श्री अमित शाह तथा माननीय श्री नितिश कुमार जी के द्वारा अवलोकन किया गया। सहकार संवाद से प्रेरित होकर तेल्हाड़ पैक्स परिवार के द्वारा से प्रण लिया गया है कि इसके उपरांत तेल्हाड़ा पैक्स के द्वारा और अधिक उपलब्धि हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया जायेगा, जिससे कि विभाग भी गौरवन्तित हो। तेल्हाड़ा पैक्स के द्वारा माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी इस शानदार और दूरदर्शी पहल हेतू आभार प्रकट करता है, साथ ही नालंदा जिला सहकारिता परिवार की ओर से सहकार संवाद की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ।

राम कुमार प्रसाद, अध्यक्ष, तेल्हाड़ा पंचायत पैक्स एकंगरसराय (नालन्दा)

सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका सहकार संवाद विकास की गाथा को जन–जन तक पहुचाने में महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश में सहकारिता विभाग आज एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। सहकार संवाद में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित जनपयोगी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। समिति में कुछ नया और उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलती है ।

राजकुमार प्रसाद, अध्यक्ष, जादोपुर शुक्ल पैक्स लि० जादोपुर (गोपालगंज)

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित सहकार संवाद एक मनोरम, सम्मोहक और मनोरम एवं सम्मोहक पत्रिका है जो बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बातो को आम जनमानस तक आसानी से पहुँचा देती है। यह सहकारिता विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा और सफल प्रयास जो सहकारिता से जुड़े हर छोटे–बड़ी बातो को सीधे जनता से साझा कर रही है। भविष्य मे विभाग में आने वाले योजनाओं के बारे में जानकर पाठक उत्सुक्ता से पत्रिका के अगले संस्करण का इंतज़ार करते है। ''सहकार संवाद'' पत्रिका से यही आशा है कि इसी तरह की लोकप्रियता हमेशा बनाए रखे और आम जनता से इसी तरह जुड़ा रहे।

रजनीश कुमार, अध्यक्ष, दरावा पैक्स, कौआकोल (नवादा)

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित ''सहकार से संवाद'' जनवरी, 2025 में प्राप्त हुआ। विभाग का यह सराहनीय कदम है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के महत्वपूर्ण पहल, किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं बिहार राज्य विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰ के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया गया। सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा जन–जन तक विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में ''सहकार संवाद'' की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए पत्रिका के संरक्षक, संपादक तथा संपादक मंडल के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र है।

रानी देवी, अध्यक्ष, भीतभेरवा पैक्स, गोपालगंज

पैक्सों के लिए वरदान : पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना

अमर कुमार झा,
उप निबंधक (ईख), स॰स॰

बिहार की लगभग 88 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि या कृषि आधारित व्यवसाय पर निर्भर है। पंचायत स्तर पर गठित पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ) ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बिहार के पैक्सों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की "पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना" बिहार के ग्रामीण विकास का आधार बन सकता है। भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलकर 2022–23 से 2026–27 के पाँच वर्षो में बिहार के सभी पैक्सों को कम्प्युटरीकरण करने का निर्णय लिया है।

योजना की संक्षिप्त विवरणी :– सभी पैक्सों को बहुउद्देशीय कार्यो के योग्य बनाने के उदेश्य से पैक्सों में इंटरनेट सुविधायुक्त अत्याधुनिक कम्प्युटर लगाना एवं पैक्स के कार्यो को पारदर्शी बनाते हुए उसे बहुमुखी बनाना।

पैक्सों का चयन प्रक्रिया :–

पैक्स का प्रस्ताव → **जिला स्तर पर गठित DLMIC में चयन** → **राज्य स्तर पर गठित SLMIC में पारित** → **राष्ट्रीय स्तर पर NLMIC में अंतिम रूप से चयन**

योजना का नाम	केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात	प्रत्येक पैक्स में व्यय होने वाली राशि
पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना	60:40	3.91 लाख

बिहार में पैक्स कम्प्युटरीकण योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 4477 पैक्सों में योजना प्रारंभ हुई है। इसके तहत 4477 पैक्सों में हार्डवेयर के रूप में कुल छः (कम्प्युटर, यूपीएस, बायोमैट्रिक, वेबकैम, वीपीएन, मल्टी फंक्शनल डिवाइस)

सामानों की आपूर्ति हो चुकी है। कम्पनी द्वारा प्रथम चरण में कुछ को छोड़कर सभी पैक्सों में हार्डवेयर का Installation भी किया जा चुका है।

योजना के द्वितीय चरण में बिहार के 2365 पैक्सों का चयन किया गया है। जो राज्य स्तर पर गठित SLMIC में पारित कराते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गठित NLMIC में स्वीकृति हेतु भेजा गया है। पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना के तृतीय चरण में बिहार के बचे कुल 1211 पैक्सों में चयन की प्रक्रिया चल रही है। सभी जिला को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि वे बचे पैक्सों का प्रस्ताव जिलास्तर पर गठित DLMIC में पारित करते हुए SLMIC में चयन हेतु प्रस्ताव भेजें।

पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना की वर्तमान स्थिति :–

चरण	चयनित कुल पैक्स	योजना चालू	Go Live	e-Pacs
प्रथम चरण	4477	4477	4443	673
द्वितीय चरण	2365	NLMIC में चयन हेतु प्रक्रियाधीन		
तृतीय चरण	1211	DLMIC में चयन हेतु प्रक्रियाधीन		

केन्द्र प्रयोजित इस योजना में बिहार की उपलब्धि उत्साह वर्द्धक है। Day End Completion, Go live, e-Pacs only में बिहार प्रथम स्थान पर है। जबकि System Audit में बिहार द्वितीय स्थान पर है।

योजना के लाभ :–

1. पैक्स के कार्यो को सुगम, आसान एवं पारदर्शी बनाना।
2. पैक्सों के डाटा में एक रूपता लाना।
3. पैक्सों को M.S.C (Multi Service Center) के रूप में विकसित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं शहरी पलायन को रोकना।
5. राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पैक्स के लिए विशेष योजना के निर्माण में सहायक।
6. पैक्स सदस्यों को Credit, Non Credit सुविधा में विकास।
7. पैक्स के रिकार्ड संधारण में सुविधा एवं अनियमितता तथा धोखाधड़ी पर अंकुश।

पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना के माध्यम से पैक्सों के व्यवसाय विकास में वृद्धि हो रही है। साथ ही, पैक्स के कार्यो को और अधिक पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने में मदद मिल रही है। निश्चित रूप से पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल हो पाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

दीपक कुमार
सहायक निबंधक
सहयोग समितियाँ

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (International Year of Cooperatives 2025) संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के योगदान को उजागर करना और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में एक प्रभावी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है।

थीम – सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

यह थीम सहकारी संस्थाओं की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। सहकारी मॉडल सदस्य–आधारित, समावेशी और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला है, जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है।

भारत में आधिकारिक उद्घाटन

इस वर्ष का आधिकारिक उद्घाटन 25–30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) की वैश्विक सम्मेलन और महासभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 3,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में सहकारी संस्थाओं के महत्व और भारत में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और एक विशेष डाक टिकट जारी किया।

वैश्विक प्रभाव

विश्वभर में लगभग 3 मिलियन सहकारी संस्थाएँ हैं, जो कम से कम 1.2 बिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिहार में 26000 से अधिक सहकारी समितियाँ निबंधित हैं जो 1.6 करोड़ सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये संस्थाएँ कृषि, उपभोक्ता, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास एवं सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

आधिकारिक लोगो

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक लोगो तीन प्रमुख रंगों लाल, नीला और हरा में डिज़ाइन किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की पहचान से प्रेरित हैं। यह लोगो सहकारी संस्थाओं के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान को दर्शाता है।

लक्ष्य

विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने हेतु प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों से जोड़ा जाना।

जमीनी स्तर पर सहकारिता की पहुँच बढ़ाना एवं प्रदर्शनी, प्रभात फेरियाँ, सहकारिता रथ, मेला, विशेष उत्सव सेमिनार, बैठकें एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजन कर सहकारिता से समस्त सहकारी संस्थाएँ, डेयरी, स्कूल, कॉलेज, जीविका सहयोग समितियाँ आदि के माध्यम से सहकारिता का जमीनी स्तर तक प्रचार–प्रसार कर सहकारिता की योजनाओं से लाभान्वित करना।

केन्द्र सरकार की सहकार से समृद्धि विजन की गतिविधियों का क्रियान्वयन किये जाने के लिए सहकारी समितियों को सक्षम बनाने हेतु उनके व्यवसाय का विविधिकरण किया जाना। NCOL (राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक समिति), NCEL (राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति) एवं BBSSL (भारतीय बीज सहकारी समिति लि0) की सदस्यता बढाना, NCCF पोर्टल एवं NAFED पोर्टल पर पात्र किसानों का पंजीयन करवाना, पैक्स को कम्प्यूटराईज करना एवं गो–लाईव करवाना, एफ0पी0ओ0 का गठन, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, जन–औषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, पेट्रोल–डीजल/एल0पी0जी0 आउटलेट इत्यादि के रूप मे विकसित करना आदि।

कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की योजना बनाई गयी है। इन कार्यक्रमों में सहकारी संस्थाओं के योगदान को उजागर करने, नीतिगत समर्थन प्राप्त करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्र, राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त वर्ष में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सहकारिता का राज्य में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना एवं सहकारिता से अधिकाधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाना अपेक्षित है। उक्त प्रक्रिया में सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों की सदस्यता में वृद्धि

करना तथा सहकारी समितियों की समाज में प्रासंगिकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाया जाना अपेक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाना है यथा– सहकारी समितियों के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान, युवा जागरूकता अभियान और निबंध प्रतियोगिताएँ, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए सोशल मीडिया अभियान, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समुदायों में जागरूकता बढ़ाना, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर सहकारी सम्मेलन, सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए पैक्स सदस्यता कार्यशालाएं, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी, सेमिनार और कार्यशालाएं, सहकारी उपलब्धियों को उजागर करने वाली सफलता की कहानी प्रकाशित करना, सहकारी समितियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने वाले स्वास्थ्य शिविर आदि।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर बिहार में आयोजित गतिविधियाँ

माह जनवरी में IYC-2025 अंतर्गत पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला में माननीय राज्यपाल, बिहार द्वारा विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सहकारी चौपाल का शुभारंभ एवं LED प्रचार रथ का उद्घाटन किया गया। **गणतंत्र दिवस 2025** के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में IYC-2025 के प्रचार के साथ सहकारिता विभाग की झांकी : पैक्स एक बहुउद्देष्यीय केन्द्र (PACS as One Stop Centre) का प्रदर्शन किया गया।

माह फरवरी में IYC- 2025 अंतर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडो में एवं पैक्सों में प्रतिदिन LED प्रचार वाहन रथ से विभागीय योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार, पैक्स स्तर पर कार्यक्रम, सहकारी चौपाल अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया।

माह मार्च में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर सहकारी सम्मेलन/प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयी। 22 मार्च–बिहार दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में सहकारिता मंडप अंतर्गत सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री स्टॉल लगायी गयी।

माह अप्रैल में हस्तकरघा एवं बुनकर सप्ताह मनाया गया जिसमें हस्तकरघा, सहकारी समितियों और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी सहकारी समितियों के पद धारक एवं सभी विभागीय पदाधिकारी/ कर्मी द्वारा परिधान के रूप में खादी वस्त्र का उपयोग किया गया। **22 अप्रैल** को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। सहकार मानव श्रृंखला, स्वच्छता सहकार अभियान, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थिरता हेतु सभी सहकारी समितियों में जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर वर्ष भर विभिन्न स्तरों पर गतिविधियाँ प्रस्तावित है।

अंततः IYC- 2025 के मौलिक उद्देश्यों को पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास के माध्यम से सफलतापूर्वक आत्मसात किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से संस्थागत विकास के प्रत्येक चरण पर मौजूद हितधारकों यथा सहकार बंधुओं एवं सहकारी समितियों के हितों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इस अनूठी पहल एवं इसके तहत विभिन्न स्तरों पर आयोजित गतिविधियों से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता, जागरूकता, समानता, न्याय, एकजुटता एवं एक नयी सहकारिता क्रांति आएगी।

विभाग की केरल, अध्ययन यात्रा...............

अभय कुमार सिंह
अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

सहकारिता आंदोलन की शक्ति तब और गहराई से समझ में आती है जब हम उसे केवल एक वित्तीय या प्रशासनिक मॉडल न मानकर, एक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2025 में केरल राज्य के सहकारिता मॉडल का अध्ययन किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा किया गया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यगण थें, विभागीय सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर सचिव श्री अभय कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 श्री मनोज कुमार। इसका मुख्य उद्देश्य केरल के सफल सहकारी मॉडलों से सीख लेकर बिहार की सहकारिता प्रणाली को और अधिक सशक्त एवं विविधीकृत बनाना है।

इस दौरे का सबसे प्रभावशाली अनुभव था केरल स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 में सहभागिता। इस भव्य आयोजन में 260 से अधिक सहकारी संस्थानों ने भाग लिया, जिसमें कृषि, मत्स्य, डेयरी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, कुटीर उद्योग और सूचना तकनीक जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। यह एक्सपो न केवल सहकारी उत्पादों का प्रदर्शन था, बल्कि यह सहकारिता के व्यापक रूप, नवाचार, और समुदाय–आधारित विकास के दर्शन का एक सशक्त मंच था। इस दौरे के दौरान मुन्नार सेवा सहकारी बैंक द्वारा संचालित 'मैक्स मुन्नार होटल' की यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक रही। एक प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) द्वारा होटल का संचालन तथा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में इस स्तर की व्यावसायिकता और सफलता यह दर्शाति है कि सहकारिता मॉडल किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी रूप से कार्य कर सकता है। बैंक की आय का उपयोग पारंपरिक कृषि गतिविधियों को सब्सिडी देने और सदस्य कल्याण के लिए किया जा रहा है– यह आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक आदर्श संयोजन है।

इसी प्रकार, Uralungal Labour Contract Cooperative Society (ULCCS) द्वारा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए कार्य–जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत flyover, सार्वजनिक भवन, और हरित प्रौद्योगिकी शामिल हैं– दर्शाते हैं

कि श्रमिक–स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाएं भी व्यावसायिक परियोजनाओं में नेतृत्व कर सकती हैं। ULCCS के साथ ULCCS क्राफ्ट विलेज का दौरा यह दर्शाति है कि कैसे पारंपरिक शिल्प एवं सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हुए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

बिहार के लिए इन मॉडलों से कई महत्वपूर्ण सीखें निकलती हैं। सबसे पहले, सहकारिताओं को पारंपरिक भूमिकाओं से आगे निकलकर विविध क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। दूसरा, सहकारी संस्थाओं का पेशेवर प्रबंधन और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना आवश्यक है। तीसरा, हमारे सहकारी बैंकिंग तंत्र को आधुनिक तकनीकी सेवाओं से जोड़ते हुए, उसे डिजिटल रूप में रूपांतरित करना होगा, जैसा कि केरला बैंक ने सफलतापूर्वक किया है।

सहकारिता विभाग, बिहार अब इन अनुभवों के आधार पर हमारे सहकारी उत्पादों और नवाचारों को राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देना। इसके अलावा, चयनित PACS और अन्य सहकारी संस्थाओं को पर्यटन, मशरूम उत्पादन, फल–सब्जी प्रसंस्करण, और अपशिष्ट प्रबंधन , कृषि चिकित्सालय / पाठशाला तथा पशुचिकित्सा की सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कर जैसे क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हम KICMA जैसे संस्थानों के अनुभवों से प्रेरित होकर, बिहार में सहकारी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थानों की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। हमारे प्रयास होंगे कि सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रबंधक और सदस्यगण नियमित रूप से व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय प्रशासन, विपणन रणनीति और तकनीकी कौशल पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इससे सहकारिताएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक दृष्टिकोण से भी अधिक उत्तरदायी बनेंगी।

अंततः, यह अध्ययन दौरा हमें यह संदेश देता है कि सहकारिता आंदोलन केवल ऋण और उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी, आत्मनिर्भर और न्यायोचित समाज के निर्माण का भी आधार बन सकता है। जब सहकारिता को नवाचार, प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामूहिक भागीदारी के साथ जोड़ा जाता है, तो यह राज्य के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है।

बिहार के सहकारी आंदोलन के सामने अब एक नई दिशा है–जहां हम पारंपरिक मजबूती को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सहकारिता विभाग, बिहार इस परिवर्तन को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य हैः एक समावेशी, विविधीकृत और जन–उन्मुख सहकारी तंत्र का निर्माण, जो बिहार के विकास की नई धुरी बन सके।

अथरी पैक्स की सफलता की कहानी

यदुनंदन प्र0 सिंह,
अध्यक्ष, अथरी पैक्स, सीतामढ़ी

माँ जानकी की जन्मस्थली जिला. सीतामढी अन्तर्गत प्रखण्ड. रून्नीसैदपुर के अथरी पैक्स की एक संक्षिप्त झलकः—

अथरी पैक्स का गठन 28.10.1978 को तीन पंचायतों को मिलाकर किया गया था। समय काल के दरम्यान पुनरू 2008 में पैक्सों का पुनर्गठन पूरे बिहार में किया गया। समिति को पंचायत इकाई मानते हुए दिनांक 06.08.2008 को अथरी पैक्स के नाम से पुनरू निबंधन हुआ, जिसका निबंधन सं. BR-07-02-01-P-01/2008 है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास में दिन प्रतिदिन पैक्स की भूमिका अहम होती जा रही है। खासकर कृषि उत्पादन, विपणन एवं भण्डारण के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग की अपेक्षा आम जनता द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पैक्स करती है जैसे. पेयजल, स्वच्छता, साक्षरता, स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम, पर्यावरण एवं परिभ्रमण। किसी भी पैक्स के सफल संचालन में वहाँ के प्रबंध समिति की कार्यकुशलता एवं सदस्यों के सहयोग के साथ. साथ सदस्यों का समिति के निदेशक मंडल एवं प्रबंधक पर विश्वास होना सफलता की मुख्य कुंजी है।

समिति के विकास के लिये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अहम होती है। इसी क्रम में अथरी पैक्स में 23.08. 1981 को बाबू वीर कुँवर सिंह जयन्ती के अवसर पर साख वृद्धि जमा योजना का शुभारंभ किया गया, परिणामस्वरूप सदस्यों के सहयोग के फलस्वरूप निम्न प्रकार समिति में उतरोतर विकास हुआ—

क्र सं.	मद	1981—82	2008—09	2024—25
1	साख वृद्धि जमा योजना	1,51,561.00	1,31,63,716.00	2,25,45,800.00
2	चूकता हिस्सा पूंजी	53,809.00	1,41,367.00	3,07,359.50
3	सुरक्षित कोष	658.00	687.00	21,55,963.72
4	संचित कोष	—	77,000.00	65,50,074.28,
5	ऋण अग्रिम	2,09,000.00	2,78,700.00	16,53,260.00
6	विभिन्न संस्था में स्थायी विनियोग	12,080.00	1,29,06,551.00	2,67,35,033.00
7	वार्षिक लाभ	7387.00	2,73,215.00	2,05,781.91
8	सकल लाभ	45,997.00	9,77,037.00	15,88,438.20
9	व्यापारिक लेनदेन	33,244.00	7,42,721.00	38,19,659,15
10	व्यापारिक लाभ	2106.00	15,274.00	58335.00
11	कार्यशील पूंजी	3,23,254.00	1,72,57,760.00	3,25,66,654.00
12	अंकेक्षण वर्गीकरण	"C"	"A"	"A"
13	सदस्य संख्या	654	614	944

I. उपरोक्त आंकडों से स्पष्ट हैं कि समिति के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है। साख वृद्धि जमा योजना के अन्तर्गत समाज के अत्यन्त गरीब, छोटे–छोटे व्यवसाय जैसे- सब्जी, किराना, बिजली, सफाई कर्मी, मोची, नाई एवं अन्य प्रकार के छोटे–छोटे व्यवसायी से दैनिक जमा योजना शुरू कराकर, उनमें बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ उन व्यवसायी को पूंजी के रूप में सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे पंचायत के 250 से अधिक गरीब परिवारों का आर्थिक विकास एवं उन्नति हुई है। अथरी पैक्स की यह माइक्रोफाईनेश की योजना है जो शत प्रतिशत सफल साबित हुई है, जिससे पंचायत में आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराने में पैक्स ने अहम भूमिका अदा की है।

II. भारत सरकार के M.S.C योजना अन्तर्गत राज्य सरकार, नाबार्ड एवं राज्य सहकारी बैंक के सहयोग से "LOGISTIC FACILITY" के अन्तर्गत बहुद्देशीय किसान सेवा केन्द्र की स्थापना 2022 में की गयी, जिसके अन्तर्गत समिति को 30 लाख रू0 का ऋण 01% की दर से 07 वर्षों के लिये मिला है, ऋण भुगतान का प्रत्येक किस्त समय पर समिति द्वारा जमा कर दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रासायनिक, जैविक एवं ऑर्गेनिक उर्वरक की ब्रिकी एवं वर्मीकम्पोष्ट का उत्पादन एवं बिक्री तथा स्प्रे मशीन की सुविधा अनवरत करायी जाती है। ज्ञातव्य हो इफको के द्वारा ड्रोन दीदी के माध्यम से कृषकों के मांग पर समिति द्वारा उनके खेतों मे ड्रोन से तरल उर्वरक एवं कीटनाशक का छिडकाव की व्यवस्था की जाती है।

III. मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के अन्तर्गत प्राप्त कृषि यंत्र जैसे– जुताई के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, फसल की कटाई के लिए रीपर कम बाईण्डर, कृषकों के उत्पाद की ढुलाई के लिये ट्रॉली की सुविधा प्रदान की जाती है। M.H.K.S.Y पर ऋण की राशि एवं उसके ब्याज का पूर्ण भुगतान कोषागार चालान के माध्यम से किया जा चूका है। समिति द्वारा कृषि यंत्र की सेवा, विभिन्न प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति अनवरत होने से खुले बाजार में यंत्र का भाडा एवं उर्वरक का मूल्य सामान्य स्तर पर आ जाती है। असल में बाजार के भाव को नियंत्रित रखना हमारे पैक्स की प्राथमिकता है।

IV. राष्टीय सहकारी विकास निगम द्वारा समिति के उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुये 18 जनवरी 2022 को तथा पुनः 22 मार्च 2024 को पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 2006-07 में ICDP योजना के तहत 100 MT का गोदाम निर्माण, उपस्कर की आपूर्ति तथा पम्पसेट के लिये वितीय सहायता प्राप्त हुई थी।

मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा 07.03.2024 को पटना के अरण्य भवन में राज्य स्तर के तृतीय पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र एवं 07 लाख रू0 का चेक समिति के नाम से पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया।

V. सामाजिक दायित्यों के निर्वहन के लिये समिति समय–समय पर अपने कार्य क्षेत्र में सड़कों की सफाई, छठ घाट की सफाई, शवदाह स्थल पर नदी में उतरने के लिये सीढी का निर्माण, बाढ या प्राकृतिक आपदा के समय गरीबों के बीच धोती, साड़ी तथा कडाके की ठण्ड में विधवा एवं गरीबों के बीच कम्बल वितरण करती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता शिविर तथा कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है। समिति पिछले 31 वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है।

VI. पिछले 31.03.2025 को समिति में साख वृद्धि जमा योजना के तहत 2,25,45,800.00 रू0 जमा हैं। उसके विरूद्ध समिति का विभिन्न संस्थाओं में 31.03.2025 को 2,67,35,033.00 रू0 स्थायी रूप से विनियोजित है। यह आंकडा साख वृद्धि जमा योजना के मजबूत आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह समिति के सुदृढ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। समिति प्रतिवर्ष अपने सदस्यों के बीच लाभांश का वितरण तथा राज्य सरकार को कोषागार चालान के माध्यम से लाभांश भुगतान करती है।

ज्ञातव्य हो समिति में कृषक भारती सहकारी समिति (कृभको, नई दिल्ली) में 05 लाख रूपयें का हिस्सा पूंजी 2008 में विनियोग किया गया, जिसके फलस्वरूप समिति को प्रतिवर्ष 20% की दर से 01 लाख रू0 का लाभांश प्राप्त हो जाता है। अभी हाल में भारतीय बीज सहकारी समिति, भारतीय ऑर्गेनिक सहकारी समिति, भारतीय सहकारी निर्यात समिति में हिस्सा के रूप में विनियोग किया है, जिससे समिति को बहुमुखी विकास के लिये भविष्य मे पायदान मिलेगी।

VII. राज्य सरकार के सहयोग से कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन जनहित में किया जा रहा है। समिति का अंकेक्षण प्रतिवर्ष 30 जून के अन्दर करा लिया जाता है।

समिति के विकास में समिति के सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों तथा समिति के कार्यप्रणाली के प्रति लोगो का विश्वास का अमूल्य योगदान रहा है। इसके लिये पैक्स उन सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है

जय किसान – जय सहकारिता

सहकारी अंकेक्षण एवं समान लेखा प्रणाली

कामेश्वर ठाकुर,
संयुक्त निबंधक (अंके0), स0स0

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा "एकता में रहो " का सन्देश देते हुए कहा गया है कि हमारी घोर गरीबी का कारण यह है कि हम अपने बोझ पृथक–पृथक रहकर अकेले ही वहन करना चाहते हैं। सहकारिता ऐसी प्रणाली है, जिसमें लोग समूह में अपनी आजीविका चला सकते हैं। "सभी के लिए भलाई" के उद्देश्य से कार्य करने का अवसर सहकारिता को प्राप्त है। सहकारिता के उद्देश्यों के अनुसार अपने व्यवसाय संचालन हेतु प्रबंध करने वाली निकायों (प्रबंध समिति) का गठन लोकतान्त्रिक आधार पर करना होता है। सहकारी उद्यम को कार्य कुशल होने के लिए उसे एक आत्मनिर्भर प्रबंधन चाहिए। लेकिन यदि प्रबंधन को वैसी स्वतंत्रता दे दिए जाए तो उसके एक अनियंत्रित एजेंट की तरह से कार्य करने की आशंका प्रबल हो जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में सहकारी समिति का अंकेक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि सहकारी समिति के अंकेक्षण एवं अन्य प्रकार के अंकेक्षण में मूलभूत अंतर यह है कि जहाँ JOINT STOCK COMPANY का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वहीं सहकारी समिति को लाभ कमाने के साथ अपने सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य है।

अंकेक्षण वस्तुतः अपने आप में एक गंभीर विषय है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेखाओं की जाँच कर संस्था के आर्थिक चिट्ठा को सत्यापित करना एवं इस क्रम में पायी गयी त्रुटियों से अवगत कराना है। सहकारिता अंकेक्षण का दायरा सिर्फ वित्तीय अंकेक्षण तक सीमित नहीं है; इसका क्षेत्र वित्तीय अंकेक्षण के अतिरिक्त प्रशासनिक अंकेक्षण तक विस्तृत है, जो समिति में चल रही सहकारी गतिविधियों का आईना का कार्य करती है। बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित 2013) की धारा–33 के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक सहकारी समिति को प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अर्थात 30 सितम्बर तक अपने लेखाओं का अंकेक्षण कराकर प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य है । वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में नाबार्ड द्वारा सभी पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (COMMON ACCOUNTING SYSTEM) के तहत् लेखांकन करना अनिवार्य बताया गया है। समिति में समान लेखा प्रणाली के तहत दोहरी लेखा प्रणाली (DOUBLE ENTRY SYSTEM) अपनाया जाना है अर्थात् प्रत्येक लेन–देन को दोहरी लेखा प्रणाली में प्रविष्टि करनी है।

यूँ तो केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पूर्व में समान लेखा प्रणाली (COMMON ACCOUNTING SYSTEM) से सम्बंधित प्रशिक्षण सभी सहकारी समिति के पदधारकों को दी जा चुकी है। परन्तु अभी तक प्राथमिक सहकारी समिति द्वार समान लेखा प्रणाली में लेखांकन नहीं किया जा रहा है, जिससे अंकेक्षण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती है। सहकार संवाद के माध्यम से अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेखों एवं अति आवश्यक तकनीक की जानकारी देने का प्रयास समीचीन प्रतीत होता है।

दुनिया में सभी प्रकार के लेन–देन को मुख्य रुप से तीन खातों में विभक्त किया गया है, जिसे GOLDEN RULES OF ACCOUNTING कहा जाता है । यथा–

1. PERSONAL ACCOUNT- "DEBIT (Dr) the receiver and CREDIT (Cr) the giver" सरल शब्दों में यि कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में 5000/– रुपये जमा करता है तो बैंक सम्बंधित व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट करेग तथा बैंक Cash A/C Debit करेगा ।
2. REAL ACCOUNT- "DEBIT WHAT COMES IN AND CREDIT WHAT GOES OUT" यदि कोई पैक ट्रैक्टर खरीदता है और इसके लिए 7,00,000/– (सात लाख रुपये) का भुगतान करता है तो ट्रैक्टर अकाउ DEBIT (Dr) होगा तथा Cash सात लाख रुपये Credit (Cr) किया जाएगा।
3. NOMINAL ACCOUNT- "DEBIT ALL EXPENDITURE AND LOSSES AND CREDIT AL INCOME AND GAINS"- इस प्रकार के अकाउंट में सभी प्रकार के खर्च और हानि को Debit किया जाएगा त सभी प्रकार के आय और लाभ को Credit किया जाएगा ।

निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 4148 दिनांक 03.08.2007 द्वारा प्राथमिक कृषि स सहकारी समितियों तथा कृषक सहकारी समितियों में समान लेखा प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में वृहत् विवरणी गयी है । समान लेखा प्रणाली को निम्नांकित मुख्य निर्देशों का अनुपालन सभी पैक्सो के लिए अनिवार्य होगा–

समितियों में सभी लेखे का संधारण लेखा सिद्धांतो के अनुरूप दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (DOUBLEENTRYBOOK-KEEPING) के अनुसार ही होगा ।

1. समितियों में जनरल लेज़र का पालन आवश्यक होगा तथा जमा खर्च बही एवं जनरल लेजर में निर्धारित लेखा शीर्षों में लेखांकन किया जायेगा ।

तलपट, व्यापार खाता, लाभ–हानि खाता, लाभ–हानि appropriation account एवं आर्थिक चिट्ठा निर्धारित अनुसूची के विहित प्रपत्र में ही तैयार किये जायेंगे ।

प्रत्येक समिति मासिक तल–पट तथा मासिक व्यापार खाता एवं लाभ–हानि खाता तैयार करेगी । बैलेंस शीट, वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च) का तैयार किया जायेगा ।

नए सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि को सुरक्षित कोष में न ले जाकर लाभ–हानि खाता के आय (Cr) भाग में दिखलाया जायेगा ।

पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से हानि समाप्त करने तथा पूँजी पर्याप्तता के लिए प्राप्त राशि को पुनःपूंजीकरण सहायता कोष के मद में स्थानांतरित किया जाएगा।

नियमानुसार शुद्ध लाभ का बंटवारा समिति की सालाना आम– सभा /असाधारण आम– सभा द्वारा किया जाना है । इसलिए लाभ–हानि APPROPRIATION खाता तभी तैयार किया जाएगा, जब आम सभा द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा।

2. बिहार को ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट, 1935 के अनुसार शुद्ध लाभ की राशि का निम्नतम 25% सुरक्षित कोष में, 10% सहकारिता विकास एवं प्रशिक्षण कोष में तथा 10% राज्य सरकार के हिस्सा वापसी कोष में अंतरित करना है; जबकि को–ऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1959 के अनुसार शुद्ध लाभ का 10% अशोध्य ऋण कोष में अंतरित करना है । इन्हें बैलेंस शीट के देन– भाग में " सुरक्षित एवं अन्य कोष " के अंतर्गत दिखलाया जायेगा।

"VOUCHING IS THE BACKBONE OF AUDITING" के सिद्धांतों के अनुरूप अंकेक्षकों द्वारा सभी आय–व्यय प्रमाणकों की पूर्ण व बारीक जाँच अपेक्षित है। अतः सहकारी समिति द्वारा किये जा रहे व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार समिति में आवश्यक प्रमाणक एवं अभिश्रव इत्यादि के लेखांकन का कार्य किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के समय सहकारी समिति द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अंकेक्षक के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य है।

1. रोकड़ पंजी (CASHBOOK)
2. BANK पास बुक (CASH क्रेडिट खाता एवं बचत खाता)
3. लेजर (LEDGER) बुक
4. बैंक समाधान विवरणी (BANK RECONCILIATION STATEMENT)
5. ट्रायल बैलेंस
6. व्यापार खाता
7. लाभ–हानि खाता
8. आर्थिक चिट्ठा (BALANCE SHEET)
9. क्रय पंजी (PURCHASE BOOK) (धान, गेहूँ, सब्जी, खाद, कीटनाशक, मिटटी तेल इत्यादि)
10. विक्रय पंजी (SALE REGISTER)
11. स्टॉक पंजी
12. विपत्र, अभिश्रव, प्रमाणक एवं अन्य SUBSIDIARY BOOK(सहायक पुस्तिका)
13. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन
14. निरीक्षण पुस्तिका
15. अंकेक्षण शुल्क भुगतान से सम्बंधित चालान की प्रति
16. सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति

बिहार में प्रत्येक वर्ष 8463 पैक्सों में से लगभग 8200 पैक्सों एवं 543 व्यापार मंडल में से लगभग 400 VMSS का अंकेक्षण माननीय समिति अध्यक्ष एवं अंकेक्षक के अथक प्रयास से पूरा किया जा रहा है, परन्तु कुछ समितियों में अंकेक्षण कई वर्षों से नहीं हो पाया है, जिसके मुख्य कारण है–

1. समिति के प्रभार का लेन–देन नहीं किया जाना,
2. समिति का किसी कारण से DEFAULTER होना,
3. समिति के बीच की अवधि का अभिलेख नहीं उपलब्ध होना

ऐसी समितियों के अंकेक्षण के सम्बन्ध में निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना का पत्रांक 177 दिनांक 16.01.2006 तथा पत्रांक 3749 दिनांक 20.06.2001 द्वारा आवश्यक निदेश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन से हम सहकारिता विभाग के शत–प्रतिशत समितियों का अंकेक्षण कराने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सभी सहकारी पैक्सों में COMPUTERISATION किया जा रहा है, जो पारदर्शी एवं ससमय अंकेक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ।

ग्राम सहकारिता : आर्थिक लोकतंत्र की धुरी

अंजलि,
सहायक निबंधक
सहयोग समितियाँ

"ग्राम स्वराज ही असली लोकतंत्र की नींव है।" – महात्मा गांधी

गांधीजी का यह कथन राजनीतिक दर्शन के साथ–साथ ग्रामीण भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वनिर्भरता को भी परिलक्षित करता है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने सदैव ही देश की आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कोविड काल में देखने को मिला जब चरमराती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच ग्रामीण कृषि, दुग्ध उत्पादन एवं कुटीर उद्योग ने भारतवर्ष की रीढ़ को मजबूत बनाए रखा।

ग्रामीण क्षेत्र की इस प्रबल आर्थिक हिस्सेदारी के बावजूद आज भी देश में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ ना तो बैंक की शाखाएं पहुँच पाई हैं और ना ही बैंकिंग सुविधाएँ। इससे ग्रामीण जनसंख्या मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से कट जाती है और ग्रामीण विकास बाधित होता है ।

गाँवों में बैंकिंग सुविधाओं के इसी पहुँच को सशक्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, और ग्रामीण जनसंख्या को सही मायने में आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, "सहकारिता में सहकार" अभियान की शुरुआत हुई।

क्या है 'सहकारिता में सहकार' अभियान ?

सहकारिता में सहकार के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS), दुग्ध सहकारी समितियों (PDCS) और अन्य सहकारी संस्थाओं को बैंक मित्र या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट (DMA) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इन समितियों को डिजिटल उपकरण जैसे माइक्रो एटीएम एवं बैंकिंग सुविधाएं जैसे विभिन्न प्रकार के खाता खोलने की सुविधा, ऋण की व्यवस्था इत्यादि से सुसज्जित किया गया है ताकि वे बैंक की शाखाओं की तरह काम कर सकें।

DMA बनने के लिए इन समितियों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग जैसी सहायता भी प्रदान की जा रही है। इससे वे न केवल खातों की शुरुआत कर सकते हैं बल्कि नकद लेन–देन, पेंशन भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), और ऋण वितरण जैसे कार्य भी कर सकते हैं।

सामान्य भाषा में 'सहकारिता में सहकार' योजना का मुख्य उद्देश्य है जन–जन तक डोर–स्टेप बैंकिंग की सुविधा, जिससे प्रत्येक नागरिक को अधिकारपूर्वक वित्तीय सेवाएं प्राप्त हों और 'जहाँ गाँव, वहाँ बैंक' का सपना साकार हो सके।

बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भूमिका

'सहकारिता में सहकार' योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में बिहार राज्य सहकारी बैंक ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। बैंक ने पूरे अभियान का SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार किया, जिससे राज्य के हर जिले में इसे समरूपता से लागू किया जा सके। इसके साथ ही बैंक ने स्पष्ट लक्ष्य और समीक्षा प्रणाली भी विकसित किया ताकि इस योजना की प्रगति को सतत रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

यह योजना अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता विभाग, बिहार के वार्षिक एजेंडे के अनुरूप भी है जो इस योजना को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के उत्थान के लिए हो रहे अभियान से भी जोड़ती है।

इस योजना के क्रियान्वयन में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक जिले में DCCBs स्थानीय PACS/PDCS/PVCS इत्यादि को DMA के रूप में बदलने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में डेयरी सहकारी समितियों को DMA में बदलने में COMFED का भी सक्रिय समर्थन मिल रहा है। उदाहरणतः PDCS को DMA बनाने के लिए DCCB में ₹50,000 का Fixed Deposit कराने की एक एग्रीमेंट शर्त है, जिसे पूरा करने में कई PDCS को कठिनाई आ रही थी। यहाँ कुछ बेहतर प्रबंध वाले PDCS को लक्षित करते हुए COMFED के माध्यम से राशि मुहैया कराई गई जिससे कि वे DMA बनने की शर्त पूरी कर पाने में सक्षम हो सके।

यह दर्शाता है कि इस योजना की सफलता में प्रमुख स्टेकहोल्डर्स द्वारा सामूहिक प्रयास कितना जरूरी है। इसी सामूहिक प्रयास का एक उम्दा उदाहरण मिलता है वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के अमृतपुर PACS और उनके DMA कन्वर्जन की सफल कहानी में।

DMA के रूप में अमृतपुर PACS - एक सफलता की कहानी वैशाली जिले से

वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 'सहकारिता में सहकार' आंदोलन का सक्रियता से क्रियान्वयन कर रही है जिसके कई उदाहरण महिला सिद्धौली, पानापुर लंगा जैसे PDCS में देखा जा सकता है। इन्हीं में से एक उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया है अमृतपुर PACS का। अमृतपुर PACS अध्यक्ष अखिलेश कुमार के साथ एक साक्षात्कार के माध्यम से हुई वार्ता का एक अंशः

1. **बैंक मित्र या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट DMA के रूप में कार्य करने का अवसर कैसे मिला? इसकी शुरुआत कैसे हुई?**

   अमृतपुर पंचायत PACS, प्रखंड – वैशाली द्वारा वर्ष 2002 से जमा–वृद्धि योजना संचालित की जा रही थी, जिसके अंतर्गत सदस्यों को दैनिक जमा, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, बचत खाता एवं उपभोक्ता ऋण, कृषि ऋण, स्वरोजगार ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। इसी आधार पर वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक श्री अमृताश ओझा जी द्वारा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर दिया गया। इसका शुभारंभ माननीय सहकारिता मंत्री श्री प्रेम कुमार जी द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को पंचदमिया, लालगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनार में किया गया। इसके पश्चात PACS में DMA कैंप आयोजित कर लगभग 100 बचत खाते खोले गए हैं तथा माइक्रो एटीएम के माध्यम से लेन–देन PACS प्रबंधक दीपक कुमार द्वारा सुगमता से किया जा रहा है।

2. **माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं के शुरू होने के बाद गाँव में बैंकिंग व्यवहार और लोगों की भागीदारी में क्या बदलाव आया है?**

   माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं के शुरू होने के बाद गाँव में बैंकिंग गतिविधियों में लोगों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। आम नागरिकों का PACS से जुड़ाव और उस पर विश्वास भी बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिए एटीएम के माध्यम से लेन–देन करने लगे हैं।

3. **आपकी समिति को इससे क्या आर्थिक या सामाजिक लाभ हुआ है?**

   समिति को खाता खोलने, जमा–निकासी एवं माइक्रो एटीएम सेवा आदि के लिए बैंक द्वारा कमीशन प्राप्त हो रहा है। PACS के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। समिति को बैंक मित्र के रूप में कार्य करने पर विशिष्ट पहचान एवं विश्वसनीयता प्राप्त हो रही है, जिससे ग्रामीणों में समिति के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है।

4. **इस पहल के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे हल किया?**

   PACS द्वारा पहले से ही जमा–वृद्धि योजना संचालित किए जाने के कारण बैंक मित्र के रूप में मुझे किसी विशेष चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। संस्था का सकारात्मक सहयोग एवं सुगम संचार व्यवस्था द्वारा आम लोगों को जोड़ा जा रहा है।

अमृतपुर PACS की सफलता यह दर्शाती है कि सहकारी संस्थाएं यदि सही दिशा और संसाधन पाएं, तो वे ग्रामीण वित्तीय समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। हालांकि, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल साक्षरता का प्रसार और महिलाओं की हिस्सेदारी को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 'सहकारिता में सहकार' अभियान ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। यह हमें गांधीजी के उस सपने की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि एक ऐसा भारत जहाँ हर गाँव अपने पैरों पर खड़ा हो और हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब गांवों की आर्थिक ताकत सशक्त होगी, तभी देश का लोकतंत्र भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। अतः इस पहल का मकसद केवल बैंकिंग सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि विश्वास, सहयोग और समृद्धि की एक नई कहानी भी गढ़ना है। इसी को हम कह सकते हैं आर्थिक लोकतंत्र की असल धुरी निर्माण करना – ग्राम सहकारिता के माध्यम से।

झलकियाँ

माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार एवं माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में सहकारी चौपाल एवं एल०ई०डी० रथ का शुभारंभ

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वेब पोर्टल का शुभारंभ।

डॉ० प्रेम कुमार, माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार एवं अन्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के पुस्तिका का विमोचन।

श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार तथा श्री नीतीश कुम
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग के विभिन्न स्टॉल का अवलो

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सम्मान।

तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक द्वारा माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार का सम्म

डॉ० प्रेम कुमार, माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार द्वारा वेजफेड के स्टॉल का अवलोकन।

IIM इंदौर में विभागीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।

झलकियाँ

प्रगति यात्रा 2025 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के साथ माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार।

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारिता विभाग के LED प्रचार रथ का अवलोकन।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर मानव श्रृंखला।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार भवन, पूर्णिया में मानव श्रृंखला का आयोजन।

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग बिहार द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस।

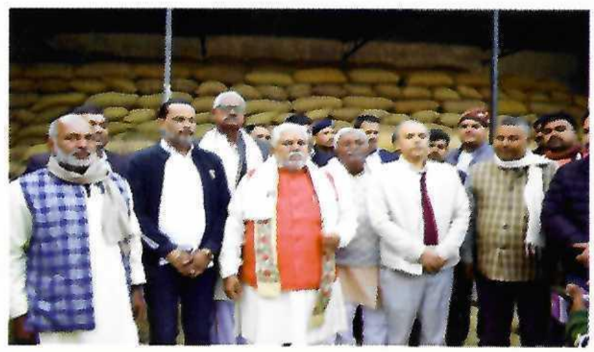

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा पैक्स का निरीक्षण।

कॉपटेक्स, तमिलनाडु का भ्रमण।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर वृक्षारोपण।

2025

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित